



2026:AHC:7615

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 33290 वर्ष 2012

नायक 840450241 गोविंद जी ओझा और अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिवादी

साथ में दो अन्य रिट याचिकाएं

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभिषेक त्रिपाठी, अमृत राज चौरसिया, दिलीप कुमार सिंह, ज्ञान

प्रकाश द्विवेदी, शिव सिंह, उदय चंदानी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता, विवेक शांडिल्य

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के साथ-साथ श्री राहुल मालवीय और श्री आर.एस. उमराव, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. चूंकि पक्षकारों के बीच जवाबी शपथपत्रों का आदान-प्रदान किया गया है, इसलिए रिट याचिकाओं पर प्रवेश चरण में निर्णय लिया जा रहा है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रमुख रिट याचिका में पारित दिनांक 24.02.2025 के आदेश द्वारा, एक वापसी आवेदन संख्या 13 वर्ष 2025 को प्राथमिकता दी गई, जिसका निर्णय 24.02.2025 को किया गया, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ता संख्या 2, महारथ प्रसाद के संबंध में रिट याचिका खारिज कर दी गई। प्रमुख रिट याचिका में, रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 अर्थात् गोविंद जी ओझा और अन्य के लिए रिट याचिका को वापस लेने के लिए एक वापसी आवेदन संख्या 16 वर्ष 2025 दायर किया है और रिट याचिका को इस हद तक खारिज कर दिया जाए कि यह रिट याचिकाकर्ता संख्या 2 से संबंधित है।

4. जहां तक संबंधित रिट याचिका का संबंध है, एक वापसी आवेदन संख्या 16 वर्ष 2025 को वरीयता दी गई और 24.02.2025 को रिट याचिका को खारिज करने के लिए एक आदेश पारित किया गया, जहां तक यह संबंधित रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता संख्या 2, 30 और 31 से सी 1 संबंधित है। रिट याचिका अर्थात् राम तिवारी में रिट याचिकाकर्ता संख्या 21 के लिए रिट याचिका को खारिज करने के लिए वापसी याचिका संख्या 19 वर्ष 2025 को प्राथमिकता दी गई है और संबंधित सी 1 रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता संख्या 21 की ओर से रिट याचिका खारिज की जा रही है।

5. प्रमुख और संबंधित रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि प्रमुख रिट याचिका संख्या 1 से 4 में रिट याचिकाकर्ता को नायक के रूप में तैनात किया गया था और 5 से 7 को कांस्टेबल के रूप में तैनात किया गया था, जबकि संबंधित सी 1 रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ताओं को संबंधित सी 2 रिट याचिका के संबंध में लैंक नायक के रूप में नियुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ता कांस्टेबल के पद पर काम कर रहे हैं। रिट याचिकाकर्ता 10.05.2012 के आदेश के विरुद्ध व्यथित हैं, जिसमें अग्रणी और संबंधित सी 1 रिट याचिकाओं में और 06.05.2012 को संबंधित सी 2 रिट याचिका में शामिल किया गया है, जिसके तहत प्रतिलाभ इस आधार पर की जा रही है कि उन्हें अतिरिक्त भुगतान दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त प्रतिलाभ विशेष रूप से तब नहीं की जा सकती थी जब यह धोखाधड़ी, छिपाने या दुर्यपदेशन का मामला नहीं है और आगे पूरी कार्रवाई बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए रिट याचिकाकर्ता के पीछे एकतरफा है। निवेदन यह है कि, यदि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई सुधार किया जाना था, तो यह प्रतिवादी गणों के लिए आवश्यक है कि उन्होंने कारण बताओ नोटिस अनिवार्यता रूप से जारी किया हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय (2022) के मामले में पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वाशर), 2015 (4) एससीसी 334 और थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य और अन्य, (2022) लाइव लॉ (एससी) 438 के मामले में निर्णय पर रखा गया है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि नियोक्ता के लिए कटौती करना और एक बार त्रुटि होने पर प्रतिलाभ जारी करना हमेशा खुला रहता है। प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि वर्तमान मामले में, नोटिस जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन रिट याचिकाकर्ता उस राशि को वापस करने के हकदार हैं जो उन्हें अवैध रूप से बढ़ाई गई है।

7. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतिओं को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. तथ्य मुद्दे में नहीं हैं। यह इस मुद्दे में नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को कुछ लाभ दिए गए थे। प्रतिवादी गणों का आरोप है कि लाभ का उक्त विस्तार विधि के अनुसार नहीं था और प्रतिवादी गणों के पास प्रतिलाभ पाने का अधिकार है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता से पूछे जा रहे एक स्पष्ट प्रश्न पर कि क्या रिट याचिकाकर्ताओं को नोटिस में रखा गया था, उत्तर नकारात्मक है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

9. तदनुसार, रिट याचिकाओं पर निम्नलिखित शर्तों में निर्णय लिया जा रहा है:-

- (a) प्रतिवादी संख्या 5, कमांडेंट, चौथी बटालियन, पीएसी, धूमनगंज द्वारा पारित दिनांक 10.05.2012 का आदेश और संबंधित सी 2 रिट याचिका में कमांडेंट, चौथी बटालियन, पीएसी, धूमनगंज, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 06.05.2012 के आदेश को अपास्त कर दिया जाता है; (
- b) कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद नया आदेश पारित करने के लिए मामले को प्राधिकारियों को वापस भेज दिया जाता है।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिकाओं का निस्तारण किया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजेश

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।